

केन्द्रीय विद्यालय रक्षा विहार कानपुर
KENDRIYA VIDYALAYA RAKSHA VIHAR KANPUR

दिनांक: 05.05.2025

कक्षा 10 में केवल सेवा श्रेणी 1 एवं 2 के पंजीकरण एवं प्रवेश सम्बन्धी सूचना

1. सूचित किया जाता है कि सत्र 2025-26 के लिये कक्षा 10 में केवल सेवा श्रेणी 1 एवं 2 की सीमित रिक्तियों में प्रवेश हेतु पंजीकरण फॉर्म विद्यालय से निःशुल्क प्राप्त कर दिनांक 05-05-2025 से 08.05.2025 तक प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक जमा किए जा सकते हैं।
2. सभी प्रवेश केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी प्रवेश दिशा-निर्देशिका 2025-26 एवं समय-समय पर जारी स्पष्टीकरणों एवं CBSE पत्रांक COORD/SO(Ptg)/LOC/2019 दिनांक 05-04-2019 के अनुसार ही किए जाएंगे।
3. कक्षा 10 में केवल सेवा श्रेणी 1 एवं 2 की सीमित रिक्तियों में प्रवेश हेतु अनंतिम सूची दिनांक 10-05-2025 को जारी की जाएगी।
4. सभी प्रवेश दिनांक 10-05-2025 से 15-05-2025 तक ही लिए जाएंगे। अंतिम तिथि 15-05-2025 के बाद प्रवेश देना संभव नहीं होगा।
5. कक्षा 10 में प्रवेश हेतु निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है:-
 - a) बच्चा सीबीएसई से संबद्ध स्कूल में अध्ययनरत रहा हो।
 - b) कक्षा 10 में प्रवेश के लिए कक्षा 09 की परीक्षा में कुल मिलाकर कम से कम 55% प्राप्तांक अनिवार्य हैं।
 - c) बच्चे को अन्यथा के.वि.एस. प्रवेश दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र होना चाहिए।
 - d) छात्र द्वारा चुने गए विषयों के संयोजन संबंधित केन्द्रीय विद्यालय में उपलब्ध होना चाहिए।
6. पंजीकरण फॉर्म के साथ निम्न दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति लगाना अनिवार्य है।
 - i) पिछली कक्षा 9 की अंकतालिका।
 - ii) पिछले विद्यालय से जारी स्थानांतरण प्रमाणपत्र।
 - iii) कक्षा 9 में सीबीएसई रेजिस्ट्रेशन की कॉपी।
 - iv) बच्चे का नाम सहित जन्म प्रमाणपत्र (नगर निगम के जन्म मृत्यु प्रमाणपत्र कार्यालय द्वारा जारी ऑनलाइन प्रमाणपत्र की कॉपी / सेवा पुस्तिका की प्रमाणित प्रति)
 - v) निवास प्रमाणपत्र (आधार कार्ड / मतदाता पहचान पत्र / फोन बिल / बिजली बिल / गैस कनेक्शन / ड्राइविंग लाइसेंस / तहसील द्वारा जारी निवास प्रमाणपत्र)
 - vi) बच्चे का जाति प्रमाणपत्र (ऑनलाइन कॉपी, यदि लागू हो)
 - vii) बच्चे की ब्लड ग्रुप रिपोर्ट
 - viii) बच्चे का आधार कार्ड

- ix) अभिभावक का ईमेल एवं मोबाइल नंबर
 - x) सरकारी विभाग द्वारा जारी नवीनतम सर्विस प्रमाणपत्र एवं वेतन पर्ची, यदि लागू हो (डीडीओ के नाम, पद, हस्ताक्षर एवं फोन नं. के साथ)
 - xi) सरकारी विभाग द्वारा जारी कर्मचारी के स्थानांतरणों का विवरण, यदि लागू हो।
 - xii) विद्यालय से आवास की दूरी का प्रमाणपत्र
 - xiii) मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांग (विकलांग) प्रमाणपत्र, यदि लागू हो
 - xiv) सरकार द्वारा जारी आय प्रमाणपत्र, यदि लागू हो
7. पंजीकरण फॉर्म एवं सभी प्रमाणपत्रों में बच्चे एवं उसके माता-पिता के नाम एवं अन्य विवरण में समानता होनी चाहिए अन्यथा प्रवेश देना संभव नहीं होगा।
8. एक बच्चे के लिए केवल एक ही फॉर्म भरे अन्यथा फॉर्म निरस्त माना जाएगा।
9. समय से फॉर्म न भरने अथवा उपस्थित न होने पर प्रवेश देना संभव नहीं होगा।
10. प्रवेश शुल्क रु. 25/- होगा।
11. प्रवेश हेतु अभिभावक को नियमानुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ऑनलाइन अथवा बैंक में निर्धारित तिथि तक जमा करना अनिवार्य है। अन्यथा प्रवेश स्वतः ही निरस्त माना जाएगा।
12. केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पत्रांक F. 110240/04/2013/KVS/Budget दिनांक 19-03-2013 के प्रावधानों के अनुसार सेवा श्रेणी 1 एवं 2 के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों (सरकारी कर्मचारियों) को सामान्यतः किसी प्रकार की छूट देना संभव नहीं होगा। उक्त छूट प्राप्त करने हेतु सेवा श्रेणी 1 एवं 2 तक के आवेदक को अपने विभाग से बाल शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति का अधिकारी न होने का विभागीय डी.डी.ओ. द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
13. अधिक जानकारी के लिए कृपया केन्द्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट <https://kvsangathan.nic.in> का अवलोकन करें अथवा विद्यालय में संपर्क करें।


प्राचार्य